न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 78/2016

काशीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 25.02.2008

उपस्थिति:–

श्री सुभाष बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 04.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रोही भोजेवाला के खसरा नं. 21 की 20 बीघा भूमि को स्थायी आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश किया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 28.09.2007 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा दिनांक 25.02.2008 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा खसरा नं. 21 की 20 बीघा रकबा टी.सी. आवंटन को पुख्ता कराने का प्रा.पत्र पेश किया। उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रा.पत्र को कब्जा न मानकर दिनांक

4/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

25.02.2008 को खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट एक अनपढ काश्तकार है खेती के कार्य में व्यस्त रहता है। आवंटन कमेटी में आने के बाद अपीलांट को गांव के व्यक्तियों से ज्ञात हुआ कि भोजेवाला का कुछ रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर हो गया है। अतः दिनांक 15.02.2016को पटवारी हल्का से मिला तो उक्त अपीलाधीन आदेश के बारे मालूम हुआ। अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अपीलांट ने अपील देरी से पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर मानते हुए खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पेश कर नहीं किया है। अतः न्यायहित में अपीलांट का दफा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 25.02.2008 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट का टी.सी. से पी.सी. आवंटन प्रा.पत्र खारिज किया है जो अपीलांट पी.सी. आवंटन की पात्रता रखने से अधी. न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

4/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट काशीराम द्वारा Temperory cultivation को पुख्ता आवंटन हेतु प्रा. पत्र पेश होने पर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि "प्रार्थी को आवंटित खसरे पर कब्जा नहीं है और न ही नवीनीकरण हो रहा है प्रार्थी का कब्जा 21/2 पर है जिसपर तावान की कार्यवाही हो रही है. प्रार्थी के नाम 6482 रूपये तावान बकाया है" अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र जो ख.नं. 21 अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 10 से 17 व पृष्ठ सं. 17 की पुस्त पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सूरतगढ की रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जाना जाहिर है। अतः अपीलांट का प्रा.पत्र बाबत खसरा शुद्धि निर्णय का मोहताज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट का प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर